

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-03/2015/

दिनांक :

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय : पासपोर्ट की कॉपी निदेशालय में जमा कराने के संबंध में।

— :: — :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा आपके अधीन अब तक जिन चिकित्सकों को पासपोर्ट हेतु एनेक्सर-एम जारी किये गये हैं के पासपोर्ट की प्रति प्राप्त कर निदेशालय को शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करे।

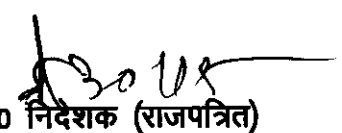
अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-03/2015/78

दिनांक : 2/2/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक पं०12(5)चिस्वा/2/14/एस-2091 दिनांक 08.12.14 के क्रम में।
- ✓ 2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।


अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।